

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 162 : Bar on jurisdiction of civil courts

Save as provided in sections 117 and 118, no civil court shall have jurisdiction to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this Act.

धारा 162 : सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

धारा 117 और धारा 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय के पास इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में कार्यवाही करने या उससे उद्भूत किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी।
